न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 83/2024 GCMS No.—2024/32

गोपाल लाल यादव पुत्र स्व0 गोविन्दराम यादव उम्र 65 वर्ष जाति यादव निवासी ग्राम इन्दौकिया, भम्भौरी, तहसील कालवाड, जिला जयपुर ग्रामीण।

...अपीलांट

बनाम

1. रूडमल पुत्र नन्दा
2. रामनारायण पुत्र नन्दा
3. रामनिवास पुत्र नन्दा
4. लालचन्द पुत्र नोलाराम
   समस्त जाति यादव निवासी ग्राम भम्भौरी तहसील कालवाड जिला जयपुर ग्रामीण।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कालवाड, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय आदेश कमांक/2023/कैम्प माचवा/32 दिनांक 08.06.2023 के द्वारा पारित किया गया।

उपस्थितः–
1. श्री सीताराम कुमावत अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से।
2. श्री रामअवतार शर्मा रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 4 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 19.07.2024

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, कालवाड के निर्णय दिनांक 08.06.2023 जिससे ग्राम भम्भौरी तहसील कालवाड स्थित भूमि खसरा नंबर 783/962 रकबा 4.5527 हैक्टेयर के तकासमा आदेश किये गये से असंतुष्ट होकर दिनांक13.10.2023 को न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर ग्रामीण में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल तकासमा पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता श्री रामअवतार शर्मा उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के आदेश दिनांक 15.05.2024 की पालना में न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर ग्रामीण से न्यायालय हाजा को मुन्तकिल होकर प्राप्त हुयी। पत्रावली पर बहस उपस्थित अभिभाषक उभय पक्ष व पैरोकार सरकार सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट व रेस्पाडेन्ट्स की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 783 रकबा 18 बीघा का मूल खसरा नंबर था जो कि वाके ग्राम भम्भौरी तहसील कालवाड में स्थित थी। मूल खसरा नंबर 783 के खातेदार नन्दा पुत्र मोटा यादव से एक पुख्ता कोठी का 1/2 हिस्सा दिनांक 19.07.1979 को अपीलांट के पिता गोविन्दराम पुत्र डूंगाराम व मंगलाराम पुत्र बिरदाराम ने अपनी अन्य कृषि भूमि खसरा नंबर 782 व 784 को सिंचाई करने हेतु खरीद किया था। खरीद के

19/7
अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

पश्चात खातेदारी अपीलांट के पिता व मंगलाराम के नाम दर्ज हुई है। अपीलांट के पिता के बाद खातेदारी अपीलांट व उसके भाईयों कल्याण सहाय, जगदीश, रामस्वरूप, नन्दा पुत्र मोटा के बाद रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज हुयी। खसरा नंबर 783 में कुंआ कोठी बनी हुयी थी जिससे अपीलांट अपनी अन्य कृषि भूमि की सिंचाई करते थे जो खसरा नंबर 782 की तरफ स्थित है एवं खसरा नंबर 783/962 में एरिया में स्थित है। रेस्पा0 ने खसरा नंबर 783 की भूमि जो कि खसरा नंबर 783/962 के एरिया में ही है उसे हडप करने एवं अपीलांट व उसके भाईयों को उसके उपयोग उपभोग से वंचित करने एवं सिंचाई से वंचित करने की बदमंशा के चलते खसरा नंबर 783 के खसरा नंबर को छोडकर केवल खसरा नंबर 783/962 का ही विभाजन करवा लिया, जिसके कारण अपीलांट अपनी भूमि के कृषि कार्य करने व उपयोग उपभोग से वंचित हो गया और विभाजन से पक्षकारो के मध्य आपसी मनमुटाव एवं वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। यदि प्रस्तावित विभाजन भूमि के बीचो बीच यदि किसी अन्य खातेदार की कृषि भूमि आती है तो विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत करने से पूर्व अन्य खातेदारान को सुनकर या उनके हिस्से की भूमि को अलहदा करते हुये निर्णय पारित करते किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश नियमानुसार पारित किया जाना चाहिए था। खातेदार के किसी कृत्य से सहखातेदार व पडौसी खातेदार को उसके खातेदारी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। अपीलाधीन आदेश के कारण अपीलांट के आने–जाने का रास्ता भी बाधित हो गया है। रेस्पाडेन्ट द्वारा दिनांक 01.10.2023 को खसरा नंबर 783 के कुंए में मिट्टी भरकर कुंए का नामोनिशान मिटाने लगे तब अपीलांट ने रोका तो वे नहीं माने एवं अपीलाधीन तकासमा आदेश के बारे में बताया और तब तहसील से अपीलांट ने विभाजन पत्र की नकल प्राप्त कर अविलम्ब माननीय न्यायालय में अपील पेश की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कालवाड का तकासमा आदेश दिनांक 08.06.2023 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 4 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तकासमा आदेश नियमानुसार ही पारित किया है। रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 4 अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 783/962 के खातेदार काश्तकार है एवं उन्होनें अपनी सहमति से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत तहसीलदार कालवाड से तकासमा करवाया है। अपीलांट अपीलाधीन भूमि के खातेदार/काश्तकार नहीं है। अपीलांट द्वारा गलत तथ्य पेश कर अपील पेश की है अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन तकासमा आदेश तहसीलदार कालवाड द्वारा नियमानुसार न्यायिक प्रकिया अपनाते हुए शुल्क जमा कर आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि अपीलांट के हिस्से में बने हुए कुंआ, कोठी आदि तकासमा उपरान्त रेस्पा0 के हिस्से मे आ जाने से अपीलाधीन तकासमा आदेश निरस्त किया जावे। परन्तु अपीलांट द्वारा अपने कथनो के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जिससे जाहिर हो कि अपीलांट के हिस्से की भूमि एवं कुंआ, कोठी आदि तकासमा आदेश के उपरान्त रेस्पाडेन्ट्स के हिस्से में चले गये। अपीलांट द्वारा न्यायालय के समक्ष पैमाईश/सीमा ज्ञान संबंधी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। सीमा ज्ञान/पैमाईश के संबंध में पक्षकारान सक्षम स्तर पर आवेदन कर सकते है। अपीलांट द्वारा तकासमा उपरान्त खसरा नंबर 783 की भूमि जिसके अपीलांट व रेस्पा0 सहखातेदार है के संबंध में रास्ता बाधित होने का कथन किया है, रास्ते के संबंध में अपीलांट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम स्तर पर चाराजोई करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पाडेन्ट खसरा नंबर 783/962 रकबा 4.55 है0 के खातेदार काश्तकार है एवं रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के मध्य मौके पर कब्जे की स्थिति के आधार पर तकासमा किये जाने हेतु रेस्पा0 द्वारा तहसीलदार कालवाड के समक्ष सहमति प्रस्तुत की गयी थी। तहसीलदार कालवाड द्वारा राजस्थान काश्तकारी की अधिनियम की धारा 53 (2) (1) अनुसार खातेदार काश्तकारो की सहमति के आधार पर तकासमा आदेश दिनांक 08.06.2023 को पारित किया गया, जिसमें कोई त्रुटि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया जाना जाहिर होता है। अपीलांट खसरा नंबर 783/962 की भूमि में सहखातेदार काश्तकार नहीं है एवं अपीलांट द्वारा कोई तथ्य/दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जिससे ये जाहिर हो कि अपीलाधीन भूमि के संबंध में अपीलांट किस प्रकार हक अधिकार रखते है। प्रथम दृष्टया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन तकासमे की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार एवं निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जाना जाहिर होता है। इसलिए अपीलाधीन तकासमा को निरस्त किये जाने या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किये जाना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

19/7/24

(सुरेश कुमार नवल)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर